पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 जून, 2011 ई० (ज्येष्ठ 28, 1933 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

## उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इं0), प्रथम तल, निकट आई.एस.बी.टी. माजरा, देहरादून

### अधिसूचना

दिनांक 03.11.2010

पत्रांक एफ–9(21)/आर.जी./यू.ई.आर.सी./2010/1422–विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61, 66, 86(1) (ई) तथा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए व इस निमित्त सभी शक्तियों से सक्षम होकर तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:

1.0 संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागू होने का विस्तार

1.1 इस विनियम का नाम उविनिआ (नवीकरणीय क्रय दायित्व का अनुपालन) विनियम, 2010, होगा।

1.2 ये विनियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

1.3 ये विनियम, इन विनियमों के अधीन संदर्भित विभिन्न सत्ताओं पर समस्त उत्तराखण्ड में लागू होंगे।

2.0 परिभाषाएं तथा निर्वचन

2.1 इस विनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

ए. "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है,

बी. "कैप्टिव उपयोग कर्ता" से कैप्टिव उत्पादक संयत्र में उत्पादित विद्युत का अंतिम उपयोगकर्ता अभिप्रेत है तथा 'कैप्टिव उपयोग' पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।

सी. "केन्द्रीय अभिकरण" से समय–समय पर केन्द्रीय आयोग द्वारा अभिहित अभिकरण अभिप्रेत है।

डी. 'केन्द्रीय आयोग' से अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (1) में संदर्भित केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है

ई. 'प्रमाण पत्र' से केन्द्रीय अभिकरण द्वारा निर्धारित विस्तृत प्रकिया के अनुसार तथा सी.ई.आर.सी. आर.ई.सी. में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अधीन इसके द्वारा जारी नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र अभिप्रेत है

यह विनियम दिनांक 20.11.2010 के सरकारी गजट में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम मान्य होगा।

एफ. "सी.ई.आर.सी. आर.ई.सी. विनियम" से केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र की मान्यता एवं इसे जारी करने के लिए निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2010 तथा उसका संशोधन अभिप्रेत है,

जी. "आयोग" से, अधिनियम की धारा 82 की उपधारा (1) में संदर्भित अनुसार उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है,

एच. "योग्य सत्ता" से सी.ई.आर.सी. आर.ई.सी. विनियमों के अधीन प्रमाण पत्र प्राप्त करने योग्य सत्ता अभिप्रेत है,

आई. "निम्नतम मूल्य" से समय–समय पर संशोधित सी.ई.आर.सी. आर.ई.सी. विनियमों के अनुसार केन्द्रीय आयोग द्वारा अवधारित न्यूनतम मूल्य, जिस या जिस के ऊपर ऊर्जा विनियम में प्रमाण पत्र का लेन देन हो सके, अभिप्रेत है,

जे. "फौरबेरेन्स प्राइस" से समय–समय पर संशोधित सी.ई.आर.सी. आर.ई.सी. विनियमों के अनुसार केन्द्रीय आयोग द्वारा अवधारित अधिकतम मूल्य, जिसके भीतर ऊर्जा विनियम में लेनदेन हो सके, अभिप्रेत है,

के. "एम.एन.आर.ई." से नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, अभिप्रेत है,

एल. "वचनबद्ध सत्ता" से राज्य में वितरण अनुज्ञापी, कैप्टिव उपयोगकर्ता तथा उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता जो इन विनियमों के अधीन नवीकरणीय क्रय दायित्व पूरा करने के लिए अधिदेशित है, अभिप्रेत है,

एम. "उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता" से अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन उन्मुक्त अभिगमन प्राप्त उपभोक्ता अभिप्रेत है,

एन. "ऊर्जा विनियम" से केन्द्रीय आयोग द्वारा जारी आदेशों के संबंध में ऊर्जा हेतु ऊर्जा विनिमय के रूप में परिचालित कोई विनियम अभिप्रेत है,

ओ. "अधिमान्य शुल्क" से वितरण अनुज्ञापी को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित उत्पादन स्टेशन से ऊर्जा के क्रय हेतु उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क अभिप्रेत है,

पी. "नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत" से लघु हाइड्रो, पवन, बायोमास, बायोईधन, सह उत्पादन (खोई आधारित– सह उत्पादन सहित) शहरी व नगरीय अपशिष्ट जैसे नवीकरणीय विद्युत उत्पाद स्रोत तथा ऐसे अन्य स्रोत जो एम.एन.आर.ई. या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या अनुमोदित हों, अभिप्रेत हैं।

क्यू. "नवीकरणीय क्रय बाध्यता" से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित विद्युत क्रय करने हेतु वचनबद्ध सत्ता के लिए अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (1) के खण्ड (ई) के अधीन इस के खण्ड 4 में विनिर्दिष्ट अपेक्षा अभिप्रेत है,

आर. "राज्य" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है,

एस. "राज्य अभिकरण" से इन विनियमों के अधीन आयोग द्वारा अभिहित राज्य में अभिकरण अभिप्रेत है,

टी. "वर्ष" से वित्त वर्ष अभिप्रेत है,

2.2 इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियां जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उनका वही अर्थ होगा जो क्रमशः अधिनियम में या आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य सुसंगत विनियमों में दिया गया हो।

## 3.0 नवीकरणीय क्रय बाध्यता

3.1 प्रत्येक वचनबद्ध सत्ता, यू.ई.आर.सी. (सह उत्पादन तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत आपूर्ति शुल्क तथा अन्य निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2010 के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अवधि में नवीकरणीय क्रय बाध्यता के अधीन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से इसकी कुल विद्युत आवश्यकता (के.डब्ल्यू.एच. में) का एक न्यूनतम प्रतिशत क्रय करेगी।

परन्तु, वचनबद्ध सत्ता को केवल सौर्य ऊर्जा पर आधारित उत्पादन से कुल नवीकरणीय क्रय बाध्यता का विनिर्दिष्ट प्रतिशत क्रय करना होगा:

आगे यह कि नवीकरणीय ऊर्जा क्रय के ऐसे दायित्व में संबंधित वचनबद्ध सत्ता द्वारा पहले से ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से किये जा रहे क्रय, यदि कोई हैं, सम्मिलित होंगे:

आगे यह भी कि, वितरण अनुज्ञापी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के क्रय हेतु पहले से ही किये गये तथा आयोग की सहमति प्राप्त ऊर्जा क्रय करारों के अधीन ऊर्जा क्रय उनकी वर्तमान वैधता तक किया जाना जारी रहेंगे भले ही ऐसे करारों के अधीन कुल क्रय यहां ऊपर विनिर्दिष्ट प्रतिशत से अधिक हों।

## 4.0 केन्द्रीय आयोग के विनियमों के अधीन प्रमाण पत्र

4.1 इन विनियमों में समाविष्ट निबंधनों व शर्तों के अधीन, सी.ई.आर.सी. (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र की मान्यता व इसके जारी किये जाने हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2010 के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा क्रय के लिए वचनबद्ध सत्ताओं हेतु इन विनियमों में नियत अनिवार्य दायित्वों के निर्वहन के लिए मान्य प्रपत्र होगा।

परन्तु वचनबद्ध सत्ता द्वारा प्रमाण पत्र के क्रय द्वारा नवीकरणीय क्रय दायित्व पूरा करने की स्थिति में, नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में सौर्य पर आधारित उत्पादन से विद्युत क्रय का दायित्व तथा सौर्य से भिन्न अन्य नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित उत्पादन से विद्युत क्रय का दायित्व, गैर सौर्य प्रमाण–पत्र के क्रय द्वारा पूरा किया जा सकता है।

4.2 आयोग द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों के अधीन, वचनबद्ध सत्ता, इन विनियमों के अधीन नवीकरणीय क्रय दायित्व को पूरा करने के लिए प्रमाण–पत्र के प्रापण के संबंध में केन्द्रीय आयोग द्वारा अधिसूचित सी.ई.आर.सी. (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र की मान्यता तथा इसके जारी किये जाने हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2010 के साथ संगत रूप से कार्य करेगी।

4.3 उपरोक्त 4.1 विनियम में उल्लिखित केन्द्रीय आयोग के विनियम के संबंध में ऊर्जा विनिमय से वचनबद्ध सत्ता द्वारा क्रय किया गया प्रमाण पत्र, केन्द्रीय अभिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट तथा आयोग द्वारा अनुमोदित प्रक्रियानुसार, राज्य अभिकरण द्वारा संरचित विस्तृत प्रक्रिया के अनुरूप राज्य अभिकरण के पास वचनबद्ध सत्ता द्वारा जमा किया जाएगा।

## 5.0 वचनबद्ध सत्ताएं

5.1 प्रत्येक वचनबद्ध अभिकरण (अर्थात् वितरण अनुज्ञापी, कैप्टिव उपयोगकर्ता तथा उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता) 15 मार्च को या उससे पहले वार्षिक आधार पर, आयोग को एक प्रति प्रेषित करते हुए राज्य अभिकरण के आगामी वर्ष हेतु नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से क्रय की अनुमानित मात्रा का विवरण जमा करेगा। ऐसे क्रय की अनुमानित मात्रा यू.ई.आर.सी. (सह उत्पादन तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत की आपूर्ति के निबंधन व शर्तें) अधिनियम, 2010 के अनुसार होगी। यदि वचनबद्ध अभिकरण की वास्तविक आवश्यकताएं इसके द्वारा प्रस्तुत आवश्यकताओं से भिन्न हों तो नवीकरणीय क्रय मात्रा की वचनबद्धता, उस सीमा तक संशोधित समझी जाएगी। तथापि, नवीकरणीय क्रय दायित्व का प्रतिशत वही रहेगा तथा नवीकरणीय क्रय की संशोधित मात्रा वास्तविक आवश्यकता के संदर्भ में अवधारित की जाएगी।

5.2 सभी वचनबद्ध अभिकरण, राज्य अभिकरण द्वारा रचित प्रक्रिया के अनुसार नवीकरणीय क्रय दायित्व के अनुपालन के संबंध में राज्य अभिकरण को तिमाही स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

5.3 सभी वचनबद्ध अभिकरण, उस वर्ष में नवीकरणीय क्रय दायित्व के अनुपालन के संबंध में प्रत्येक वर्ष के अंत के एक माह के भीतर आयोग को सूचना के अधीन राज्य अभिकरण के पास विस्तृत विवरण भी जमा करेंगे।

## 6.0 राज्य अभिकरण तथा इसके कृत्य

6.1 आयोग, केन्द्रीय अभिकरण के साथ पंजीकरण हेतु नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की संस्तुति तथा प्रत्यायन हेतु तथा इन विनियमों के अधीन निम्नलिखित कृत्यों का जिम्मा लेने के लिए राज्य अभिकरण के रूप में उत्तराखण्ड नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को अभिहित करता है:

क. इन विनियमों की अपेक्षा पूर्ण करने के लिए केन्द्रीय अभिकरण द्वारा रचित प्रक्रिया से सुसंगत प्रक्रिया की रचना करना.

ख. राज्य स्तर पर योग्य सत्ताओं का प्रत्यायन तथा केन्द्रीय स्तर पर पंजीकरण हेतु केन्द्रीय अभिकरण से उनकी संस्तुति करना,

सी. प्रमाण पत्रों के संबंध में लेखों का रख–रखाव एवं निपटान,

डी. प्रमाण पत्रों में लेन–देन का निधान, तथा

ई. नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र क्रियाविधि को लागू करने के लिए प्रासंगिक ऐसे अन्य कृत्य जो कि समय–स पर आयोग द्वारा सौंपे जाएं।

6.2 राज्य अभिकरण, आयोग द्वारा जारी निदेशों के अनुसार कार्य करेगा तथा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणी ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र की मान्यता तथा इसके जारी किये जाने के लिए निबंधन एवं श व विनियम, 2010 के अधीन इसके कृत्यों के निष्पादन हेतु केन्द्रीय अभिकरण द्वारा नियत प्रक्रिया तथा नियमों से सुसंग कार्य करेगा।

6.3 राज्य अभिकरण, वचनबद्ध सत्ताओं द्वारा नवीकरणीय क्रय दायित्व के अनुपालन के संबंध में तिमाही प्रगति रिपोर्ट ज करने के लिए प्रारूप विकसित करेगा तथा इन विनियमों के जारी होने के तीन माह के भीतर आयोग द्वारा अनुमोदि करवाएगा। राज्य अभिकरण, नवीकरणीय क्रय दायित्व के अनुपालन हेतु, यदि आवश्यक हो, आयोग को उपयुक्त कार्यवाही सुझाएगा।

6.4 आयोग समय–समय पर, इन विनियमों के अधीन अपने कृत्यों के निष्पादन हेतु राज्य अभिकरण को देय पारिश्रमिक व प्रभार निर्धारित करेगा।

6.5 यदि आयोग इस बात से संतुष्ट है कि राज्य अभिकरण अपने कृत्यों का निष्पादन संतोषजनक ढंग से नहीं कर पा रह है तो वह एक साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा तथा कारण अभिलिखित कर, जिसे उपयुक्त समझे ऐसे अन्य अभिकरण को राज्य अभिकरण के रूप में अभिहित कर सकता है।

6.6 आयोग अपने स्वयं के प्रस्ताव द्वारा या राज्य अभिकरण के निवेदन पर, जैसा उपयुक्त समझे ऐसे आदेश द्वारा इन विनियमों के परिपालन को सुगम बनाने के लिए एक समन्वय समिति गठित कर सकता है।

7.0 व्यतिक्रम का प्रभाव

7.1 यदि वचनबद्ध सत्ता यू.ई.आर.सी. (सहउत्पादन तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत आपूर्ति के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2010 के अधीन उपबंधित रूप में किसी वर्ष की अवधि में नवीकरणीय क्रय दायित्व की अपनी प्रतिबद्धता पूर्ण नहीं करता है तथा कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रमाण पत्र क्रय नहीं करता है तो आयोग वचनबद्ध सत्ता को राज्य में लागू अधिमानी शुल्कों, केन्द्रीय आयोग द्वारा निर्धारित फोरबेरेन्स मूल्य तथा आर.पी.ओ. की यूनिट्स में कमी के आधार पर आयोग द्वारा अवधारित राशि, एक पृथक आर.पी.ओ. निधि में जमा करने का निदेश दे सकता है :

परन्तु वर्ष की समाप्ति के एक माह के भीतर इस कमी की सूचना देने का दायित्व राज्य अभिकरण का होगा।

आगे यह कि इस प्रकार रचित निधि, आयोग के निदेशानुसार अथवा प्रमाण पत्र के क्रय हेतु आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही उपयोग में लाई जाएगी।

आगे यह भी कि आयोग, निधि की राशि में से दायित्व पूरा करने में हुई कमी की सीमा तक प्रमाण पत्रों की अपेक्षित संख्या, ऊर्जा विनिमय से प्राप्त करने हेतु, राज्य अभिकरण के किसी अधिकारी को अधिकार दे सकता है। आगे यह और कि वचनबद्ध सत्ता यदि निदेश के संप्रेषण से 15 दिन के भीतर आयोग द्वारा निदेशित धनराशि जमा करने में विफल रहती है तो यह इन विनियमों के उपबंधों का भंग करना होगा।

7.2 जहां कोई वचनबद्ध सत्ता, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से या नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों से ऊर्जा के अपेक्षित प्रतिशत के क्रय दायित्व के अनुपालन में विफल रहती है तो प्रचलित निधि के अधीन किसी अन्य के लिए इसके दायित्व के होते हुए भी अधिनियम की धारा 142 के अधीन आयोग द्वारा निर्धारित दंड की उत्तरदायी होगी: परन्तु प्रमाण पत्रों की अनुपलब्धता के कारण नवीकरणीय क्रय दायित्व के अनुपालन में वास्तविक कठिनाई के मामले में वचनबद्ध सत्ता अनुपालन अपेक्षा को अगले वर्ष ले जाने के लिए आयोग से संपर्क कर सकती है: परन्तु जहां आयोग ने अनुपालन अपेक्षा को आगे ले जाने के लिए सहमति प्रदान की है वहां उपरोक्त विनियम 6.1 के उपबंध या अधिनियम की धारा 142 के उपबंध का अवलंबन नहीं लिया जाएगा।

8.0 प्रत्यायन हेतु योग्यता

8.1 नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत के उत्पादन में संलग्न उत्पादक कंपनी निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रत्यायन हेतु आवेदन के लिए योग्य होगी:

ए. इसके पास राज्य नेटवर्क की संयोजिता है

बी. इसके पास, आयोग द्वारा निर्धारित अधिमानी शुल्क पर विद्युत विक्रय करने के लिए ऐसे उत्पादन से संबंधित क्षमता हेतु ऊर्जा क्रय करार नहीं है।

सी. यह (i) ऐसे वितरण अनुज्ञापी के ऊर्जा क्रय के एकत्रित मूल्य (पारेषण प्रभार छोड़कर) से कम पर, उस क्षेत्र, जिसमें योग्य सत्ता अवस्थित है, के वितरण अनुज्ञापी को, या (ii) किसी अन्य अनुज्ञापी को या परस्पर सहमत मूल्य पर एक उन्मुक्त अभिगमन वाले उपभोक्ता को या एक बाजार अवधारित मूल्य पर ऊर्जा विनिमय के माध्यम से उत्पादित विद्युत का विक्रय करती है, तथा

**स्पष्टीकरण:** इन विनियमों के उद्देश्य से, 'क्रयों की एकत्रित लागत' से वह औसत भारित एकत्रित मूल्य अभिप्रेत है जिस पर वितरण अनुज्ञापी ने दीर्घावधि तथा लघु अवधि, सभी ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं से, किंतु उन्हें छोड़कर जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित हैं, पिछले वर्ष में स्वउत्पादन, यदि कुछ हों, की लागत सहित विद्युत क्रय की है।

डी. इसके पास ऊर्जा मीटरिंग तथा समय खण्डवार लेखाकरण करने के लिए अपेक्षित आवश्यक आधारित संरचना हो :

परन्तु राज्य नोडल एजेन्सी द्वारा प्रमाणित रूप में वचनबद्ध सत्ता के नवीकरणीय कर दायित्व से अधिक इस के द्वारा क्रय की गयी नवीकरणीय ऊर्जा, संबंधित वचनबद्ध सत्ता तथा राज्य नोडल एजेन्सी को लिखित में ऐसे उत्पादकों का विकल्प दिये जाने पर, यथानुपात पर क्रयों की एकत्रित लागत पर नवीकरणीय उत्पादकों द्वारा आपूर्तित समझी जाएगी तथा ऐसे उत्पादक केवल ऐसे अधिक उत्पादन हेतु प्रत्यायन के लिए भी हकदार होंगे। राज्य नोडल एजेन्सी, सभी संबंधितों से आवश्यक डाटा प्राप्त कर प्रत्येक उत्पादक हेतु ऐसी यूनिट्स की मात्रा प्रमाणित करेगा। ऐसे उत्पादकों के पी पी एज भी तदनुसार आशोधित करने होंगे।

**9.0 प्रत्यायन प्रदान करना**

9.1 राज्य अभिकरण द्वारा रचित प्रक्रिया के अधीन, विनियम–8 के अंतर्गत उपबंधित योग्यता मानदण्ड पूरा करने वाली उत्पादक कंपनी राज्य सरकार से प्रत्यायन हेतु आवेदन कर सकेंगी :

परन्तु प्रत्यायन हेतु आवेदन में आवेदक की भौगोलिक अवस्थिति, मीटरिंग विवरण, अन्तःक्षेपण बिन्दु तथा जिसके लिए प्रत्यायन का आवेदन दिया है उसकी राज्य ग्रिड/नेटवर्क को अन्तःक्षेपित किये जाने वाली ऊर्जा की मात्रा भी सम्मिलित होंगे।

9.2 राज्य अभिकरण, संबंधित पारेषण अनुज्ञापी व/या वितरण अनुज्ञापी के साथ परामर्श कर आवेदन संसाधित करेगा तथा पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तिथि से तीस दिन के भीतर आवेदक को प्रत्यायन या अन्यथा प्रदान करेगा :

परन्तु आवेदक को उसका आवेदन खुद करने से पहले सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा :

परन्तु यह भी कि यदि आवेदन निरस्त किया जाता है तो इस रद्दकरण को लिखित कर अभिलिखित किया जाएगा :

साथ ही यह भी कि यदि राज्य अभिकरण को परामर्श या समन्वय की प्रक्रिया में कोई कठिनाई आती है तो वह उपयुक्त निदेशों के लिए आयोग से संपर्क कर सकता है।

9.3 कोई व्यक्ति, जो राज्य अभिकरण के निर्णय से व्यथित है तो निवारण हेतु वह ऐसे निर्णय के संप्रेषण की प्राप्ति की तिथि से पन्द्रह दिनों के भीतर आयोग से संपर्क कर सकता है तथा आयोग जैसा उचित समझे वैसा आदेश पारित कर सकता है :

9.4 प्रत्यायन, इसके प्रमाण पत्र की तिथि से पांच वर्ष की अवधि हेतु मान्य होगा जब तक कि विनियम 11 के अधीन ऐसी मान्यता की समाप्ति से पूर्व इसे अन्यथा निरस्त न किया जाए :

9.5 प्रत्यायन प्रदान किये जाने से किसी आवेदक को राज्य ग्रिड/नेटवर्क को ऐसी ऊर्जा अन्तःक्षेपित करने का हक नहीं मिलेगा जब तक कि आवेदक या क्रेता, यथास्थिति, उपयुक्त आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुसार उन्मुक्त अभिगमन प्राप्त नहीं कर लेता:

परन्तु यदि एक उत्पादक संयंत्र एक वितरण अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली में अन्तःस्थापित है तो इसे ऐसे अनुज्ञापी को विद्युत आपूर्ति हेतु उन्मुक्त अभिगमन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी

10.0 **प्रत्यायन की अवधि के अनुवीक्षण**

10.1 राज्य अभिकरण, संबंधित पारेषण अनुज्ञापी व/या वितरण अनुज्ञापी के साथ समन्वय कर प्रत्यायित परियोजनाओं का अनुवीक्षण करेगा, उत्पादक कंपनियों तथा वचनबद्ध सत्ताओं द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों के क्रय विक्रय का लेखा रख—रखाव करेगा तथा ऐसी प्रत्यायित परियोजनाओं के अनुवीक्षण हेतु प्रासंगिक अन्य कार्यों का जिम्मा लेगा:

परन्तु उत्पादक कम्पनी प्रत्यायन प्राप्त करने के पश्चात् प्रत्यायन तथा इससे जुडे अन्य मामलों के संबंध में राज्य अभिकरण के पास वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जमा करेगी:

परन्तु आगे यह कि वर्तमान प्रत्यायन की मान्यता के विस्तार हेतु आवेदन, वर्तमान प्रत्यायन की मान्यता की समाप्ति से कम से कम नब्बे दिन पहले राज्य अभिकरण के पास किया जाएगा।

11.0 **प्रत्यायन का प्रतिसंहरण**

11.1 यदि राज्य अभिकरण, जांच करने के पश्चात् या केन्द्रीय अभिकरण की रिपोर्ट के आधार पर, इस बात से संतुष्ट है कि लोकहित के लिए यह आवश्यक है तो वह नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक कंपनी के प्रत्यायन का प्रतिसंहरण कर सकता है जहां ऐसी कंपनी (ए) अपने प्रत्यायन के ऐसे निबंधनों व शर्तों को भंग करती है जो कि इस प्रत्यायन द्वारा अभिव्यक्त रूप से घोषित है तथा जिन्हें भंग करने से कंपनी प्रतिसंहरण की जिम्मेदार होती है, (बी) इन विनियमों के द्वारा अथ... अधीन अपेक्षित किसी कार्य में, राज्य अभिकरण की राय में, जानबूझकर निलंबित व्यतिक्रम करती है।

11.2 राज्य अभिकरण, उपरोक्त 11.1 विनियम के अधीन प्रत्यायन के प्रतिसंहरण से पूर्व ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक कंपनी को सुनवाई के लिए युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

11.3 विनियम 11.1 एवं 11.2 के उपबंधों के होते हुए भी, आयोग यदि उचित समझे तो समय—समय पर राज्य अभिकरण को ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक कंपनी के विरुद्ध जांच तथा/अथवा प्रतिसंहरण प्रक्रिया प्रारंभ करने के निदेश दे सकता है।

11.4 राज्य अभिकरण के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति, इस निर्णय के संप्रेषण की तिथि से पन्द्रह दिन के भीतर निवारण हेतु आयोग से संपर्क कर सकता है तथा आयोग जैसा उचित समझे वैसा आदेश पारित करेगा।

12.0 **शुल्क एवं प्रभार**

12.1 आयोग समय—समय पर, राज्य अभिकरण से इस संबंध में प्रस्ताव के आधार पर या अपने स्वयं के प्रस्ताव से, आदेश द्वारा, वचनबद्ध सत्ताओं तथा/अथवा प्रत्यायन मान्यता व इससे जुडे अन्य मामलों के अनुरक्षण हेतु आवेदन करने वाले व्यक्तियों द्वारा देय शुल्क एवं प्रभार अवधारित करेगा।

12.2 देय शुल्क तथा प्रभारों में, आयोग द्वारा उपयुक्त समझे गये, इन विनियमों के अनुसार अप्रतिदेय आवेदन शुल्क एक बारीय प्रत्यायन शुल्क, वार्षिक शुल्क तथा अपने कृत्यों के निष्पादन हेतु अन्य प्रभार सम्मिलित होंगे।

12.3 वचनबद्ध सत्ताओं तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक कंपनियों द्वारा देय प्रभार राज्य अभिकरण द्वारा संग्रहित किये जाएंगे तथा इन विनियमों के अधीन अपने कृत्यों के निष्पादन हेतु उपयोग में लाए जाएंगे।

13.0 **सूचना प्रणाली**

13.1 राज्य अभिकरण, "आर ई परियोजनाओं का प्रत्यायन" शीर्षक से एक पृथक वेब पेज में अपनी वेबसाईट पर निम्नलिखित दस्तावेज/सूचना देंगे :—

(ए) पंजीकरण/प्रत्यायन हेतु योग्य सत्ताओं द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया,

(बी) आवेदन की सूची, जिसमें अनुपालन की स्थिति तथा प्रत्यायन प्रदान करने की संभावित तिथि जैसे विवरण सम्मिलित हों,

(सी) प्रदान किये गये प्रत्यायन की सूची, निम्नलिखित इंगित करते हुए :—

(i) आर ई उत्पादक कंपनी/स्टेशन का नाम,

(ii) अन्तःक्षेपण के बिन्दु,

(iii) क्षमता (एम डब्ल्यू) जिसके लिए प्रत्यायन प्रदान किया गया है

(डी) आवेदनों की सूची जहां प्रत्यायन हेतु अनुमोदन नहीं गया है, इसका कारण बताते हुए,

(ई) आर पी ओ के संबंध में वचनबद्ध सत्ताओं द्वारा अनुपालन की स्थिति।

**14.0 अनुपालन संपरीक्षक की नियुक्ति**

14.1 आयोग, राज्य अभिकरण से परामर्श कर, पंजीकरण हेतु आवेदन करने वाले व्यक्तियों द्वारा इन विनियमों के अनुपालन पर या प्रमाण पत्रों की योग्यता तथा इससे जुड़े सभी मामलों के संबंध में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों द्वारा अनुपालन पर जांच करने तथा रिपोर्ट करने के लिए समय–समय पर अनुपालन संपरीक्षक नियुक्त करेगा।

14.2 अनुपालन संपरीक्षक समय–समय पर इन संपरीक्षकों को देय मानदेय तथा प्रभार तय करेगा तथा यह धनराशि, उस निधि में से पूरी की जाएगी जो राज्य अभिकरण योग्य सत्ताओं से संग्रहित करेगा।

**15.0 निवारण क्रियाविधि**

इन विनियमों से या इनके अधीन उठने वाले सभी विवाद, व्यथित व्यक्ति द्वारा इस निमित्त फाइल याचिका पर आयोग द्वारा निर्णीत किये जाएंगे।

**16.0 निर्देश देने की शक्ति**

आयोग समय–समय पर ऐसे निर्देश व आदेश जारी कर सकता है जो इन विनियमों के कार्यान्वयन हेतु तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों हेतु ऊर्जा में बाजार के विकास के लिए उपयुक्त समझे जाएं।

**17.0 शिथिलीकरण की शक्ति**

17.1 आयोग, अपने सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा, कारण अभिलिखित कर तथा संभावित रूप से प्रभावित होने वाले पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या एक हित बद्ध व्यक्ति द्वारा इसके समक्ष किये गये आवेदन पर किसी उपबंध की शिथिलता प्रदान कर सकता है।

**18.0 प्रकीर्ण**

18.1 इन विनियमों में कुछ भी ऐसे आदेश बनाने से आयोग की शक्ति को सीमित अथवा अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाएगा जो कि न्याय के उद्देश्य के लिए या आयोग की प्रक्रिया के दुरूपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हो।

18.2 यदि आयोग किसी मामले या मामले की श्रेणी की विशेष परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए तथा कारण अभिलिखित कर ऐसे मामले या मामले की श्रेणी पर कार्यवाही आवश्यक तथा समीचीन समझता है तो इन विनियमों में कुछ भी आयोग के उपबंधों के अनुरूप प्रक्रिया, जो कि इन विनियमों के किसी उपबंध से भिन्न है, अपनाने से आयोग को बाधित नहीं करेगा।

## अनुसूची

### संपरीक्षकों की अर्हता

संपरीक्षक, एक व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों की एक फर्म हो सकती है जिनके पास निम्नलिखित क्षेत्रों की योग्यता तथा अनुभव हो :–

ए. वित्त या लेखा का वाणिज्य, तथा

बी. विद्युत के उत्पादन, पारेषण या वितरण के साथ इन्जीनियरिंग के क्षेत्र में योग्यता तथा ऐसा अनुभव, जो कि विद्युत क्षेत्र, नियामक आयोग सहित अन्य संलिप्त संस्थाओं, यूटिलिटीज, सरकारी संस्थाओं, राज्य अभिकरणों तथा उनकी भूमिका एवं उत्तरदायित्व की पर्याप्त समझ दर्शाता है।

आयोग के आदेश से,
ह0/–
पंकज प्रकाश,
सचिव

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 25 हिन्दी गजट/275–भाग 1–क–2011 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।